न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 75/2021

1 ख्यालीराम पुत्र लिछमण।
2 मोहनी पत्नी लिछमण समस्त जाति मेघवाल निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नत्थुराम पुत्र चुनाराम।
2 अनिता पुत्री भोपालराम।
3 कमला पुत्री चुनाराम।
4 ज्याना पुत्री चुनाराम।
5 प्रेम पुत्री भोपालराम।
6 बनारसी पुत्री चुनाराम।
7 मुकेश पुत्री भोपालराम।
8 सुभाष पुत्र भोपालराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी मुकदमा नत्थुराम बनाम अनिता वगैरह मुकदमा नम्बर 296/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 11.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 296/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक संख्या 8 व 9 की भूमि खसर नम्बर 1196 में से रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौके पर कोई रास्ता अवस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। प्रार्थी के पास पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अंकन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अपनाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील पूर्ण कर तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 12.07.2021 को मौका देखा जाकर नजरी नक्शा तैयार कर रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 को विचारण न्यायालय को प्रेषित की गई। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामील पूर्ण कर तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 12.07.2021 को मौका देखा जाकर नजरी नक्शा तैयार कर रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 को विचारण न्यायालय को प्रेषित की गई। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर